

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / Directorate (Medical) Delhi 5th व 6th तल, प्रशासन खंड, क.रा.बी. निगम अस्पताल परिसर, बसईदारापुर, नई दिल्ली-15 5th & 6th Floor, Administrative Block, ESIC Hospital Complex, Basaidarapur, N.D.-15 Email: dir-dmd.dl@esic.nic.in

संख्या/No : डीएमए.50/11/03/23/टि.आ/ रा.भा. दिनांक/Dated : 29.04.2025

परिपत्र/Circular

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।

Subject: Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works.

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना क.रा.बी.निगम में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। "क" व "ख" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 20000 (बीस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा "ग" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 10000 (दस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निगम इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 10 प्रस्कारों का प्रावधान है-

Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works initiated by Government of India is also applicable in E.S.I. Corporation. This scheme is based on financial year. Officers/employees who write minimum 20000 (twenty thousand) Hindi words in region "A" and "B" during the financial year and Officers/employees who write minimum 10000 (ten thousand) Hindi words in region "C" during the financial year are eligible to apply under this scheme. There is a provision of following 10 prizes for the officers/employees of each corporation unit under the scheme -

| क्र.सं./S.No. | पुरस्कार/Prize | पुरस्कारों की संख्या/Number of prizes | पुरस्कार राशि/Prize amount (₹) |
|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | प्रथम/First | 02 | 5000/- प्रत्येक/each |
| 2. | द्वितीय/Second | 03 | 3000/- प्रत्येक/each |
| 3. | तृतीय/Third | 05 | 2000/- प्रत्येक/each |

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता हेत् निम्नलिखित विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित है -

The record in the following prescribed proforma is required to be maintained for participation under this scheme -

वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले टिप्पण-आलेखन के रिकॉर्ड का प्रोफॉर्मा Proforma of the record of the noting-drafting to be done by the officers/employees during the year

 योजना अविधि/Scheme period
 :

 आवेदक का नाम/Name of the applicant
 :

 पदनाम/Designation
 :

 कर्मचारी संख्या/Employee number
 :

 मातृशाषा/Mother tongue
 :

| क्र.सं. | तिथि | हिंदी में किए गए कार्य | हिंदी में लिखे | हिंदी में किए | गए अन्य कार्य | नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---------|------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| S.No. | Date | की फाइल एवं रजिस्टर | टिप्पण/आलेखन के | Other works in Hindi | | (सप्ताह में एक बार) |
| | | संख्या | शब्दों की संख्या | विवरण | शब्दों की | Signature of controlling |
| | | File and Register | No. of words in | Details | संख्या | authority (Once in a |
| | | no. of Hindi work | Hindi noting/drafting | | No. of | week) |
| | | | | | words | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा 70% अंक हिंदी कार्य की मात्रा के आधार पर तथा शेष 30% अंक विचारों की स्पष्टता, आवेदन के साथ संलग्न रिकॉर्ड के संरूप, संलग्न नमूनों व रिकॉर्ड में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण, टिप्पण की गुणवत्ता, कार्य की प्रकृति, वर्तनी, हिंदी शब्दावली का प्रयोग, टिप्पण-आलेखन की विविधता आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए जाएंगे। अन्य निबंधन एवं शर्ते समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

For the evaluation of the applications, committee will award 70% marks on the basis of the quantity of Hindi work and remaining 30% marks will be awarded on the basis of comparative study of the clarity of thoughts, format of the record attached with the application, inspection of the samples attached and documents quoted in the record, quality of noting, nature of work, grammar, use of Hindi vocabulary, variety in noting-drafting etc. Other terms and conditions will be as per instructions issued from time to time.

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 2024-25 में इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्ड सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली की राजभाषा शाखा को 30 मई 2025 तक अवश्य भेज दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

The officers/employees who have participated in the scheme in year 2024-25, are requested to submit their record countersigned by controlling authority in the official language branch of Directorate (M) Delhi upto 30 May 2025. The applications received after the last date will not be considered.

वर्ष 2024-25 में भाग लेने के इच्छुक कार्मिकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप अपना रिकॉर्ड रखें। The employees willing to participate in 2024-25 are requested to maintain their record as per above instructions.

कृपया इसे सभी अधीनस्थों/सहकर्मियों के संज्ञान में लाएं। Please bring it to the notice of all the subordinates and colleagues.

इसे कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This is being issued with the approval of the Head of the office.

अनुलग्नक/Enclouser: मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.

शाखाधिकारी (राजभाषा) Branch Officer (O.L.)

प्रतिलिपि/Copy To :-

- 1. महानिदेशक(राजभाषा), कराबी निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ/ Director General (OL), ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, CIG Marg/New Delhi for information.
- 2. प्रधान निजी सचिव, निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ Principal Private Secretary, Director (Medical) Delhi, Directorate (Medical) Delhi.
- 3. सभी अधिकारी / सभी शाखाएं, निदेशालय (चि.) दिल्ली /All Officers/All Branches, Directorate (M) Delhi.
- 4. सभी प्र.बी.चि.अधिकारी, क.रा.बी.औषधालय, दिल्ली/नई दिल्ली All IMO I/c, E.S.I. Dispensary, Delhi/New Delhi.
- 5. ओ.एस.डी.,आई.टी. कक्ष को निदेशालय (चि.) दिल्ली की वेबसाट पर अपलोड करने हेतु/ O.S.D., I.T. cell for uploading on the website of Directorate (M) Delhi.